

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू

गिरधारी लाल वगैरह बनाम कन्हैयालाल महाजन आदि

दमा नं०:- 122/2008

दिनांक:-24.07.2017

07.2017 पत्रावली प्रार्थना पत्र जरिये श्री पूनम सिंह शेखावत एडवोकेट के पेश होने पर पेश हुई।
धेवक्ता वादीगण को सुना गया। अतः बहस वकील वादीगण को संतोष जनक पाई गयी। अतः प्रार्थना
स्वीकार कर मूल वाद के निर्णय दिनांक 07.06.2017 में नीचे अंकितानुसार संशोधन किया जाता है, जो
निर्णय का भाग होगा।

वादी नम्बर 4 जगदीश पुत्र नारायण के स्थान पर जगदीश पुत्र सीताराम, प्रतिवादीगण नम्बर 8 लगायत
में निवासी बड़ागांव के स्थान पर निवासी हांसलसर, निर्णय के पृष्ठ 2 में लाईन संख्या 5 में नारायण
त्र मुखा के स्थान पर नारायण पुत्र सुखाराम, निर्णय के पृष्ठ संख्या 2 में लाईन संख्या 16 में मोटारा के
थान पर मोटाराम, मुखा के स्थान पर नारायण पुत्र सुखाराम, निर्णय के पृष्ठ संख्या 3 लाईन संख्या 22 में
नारायण पुत्र मुखा के स्थान पर नारायण पुत्र सुखाराम, निर्णय के पृष्ठ संख्या 3 में लाईन संख्या 26 में
दिनांक 19.09.2004 के स्थान पर दिनांक 19.09.2004 एवं निर्णय के पृष्ठ संख्या 4 लाईन संख्या 6 पर
डूंगांक के स्थान पर बड़ागांव तथा निर्णय के आदेश की लाईन संख्या 2 में खसरा नं० 757 कुल रकबा 0.
है० कि स्थान पर रकबा 0.72 है० व खसरा नं० 1162 कुल रकबा 0.30 है० में से 0.10 है० तथा निर्णय
के आदेश की लाईन 4 में नियमानुसार के आगे पूर्व में क्रय की गई राशि पर मुद्रांक कर संशोधित पढा
जावे। तहसीलदार उदयपुरवाटी तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम सहित अमल दरामद करें। यह आदेश
मूल निर्णय दिनांक 07.06.2017 का भाग रहेगा। तदनुसार संशोधित डिक्री जारी हो। आदेश. खुले
न्यायालय में आज दिनांक 24.07.2017 को सुनाया गया।



24/7

(शिवपाल जाट)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,
उदयपुरवाटी (झुंझुनू)

उदयपुरवाटी (झुंझुनू)